Order or proceeding with Signature o

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री आर०एस० त्रिवेदिया। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

केर् 1 प्रकरण रैफर सभावना 3 राजीनामा मीडिएशन जियादी सपना ने उपस्थित होकर प्रकरण उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु फरियादी श्रीमती सपना उपस्थित। फरियादी सपना ने उपस्थित होक सपना ने की। अतः उभयपक्षों ने राज् जाने का निवेदन किया है।

ate are इस मध्यस्थता दृष्टांत A fcons Infrastruct पूर्ण रक्त रखते विषय वस्तु को ध्यान में के मध्य विवाद का पू Company अनुसार 18 Construction देए गए निर्देश के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की Limited Vs Cheriyan Varkey Cons Limited (2010)8 SSC 24 单 여 可 ं मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षो होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय लिए एक उपयुक्त प्रकरण है। उभय पक्षों के प्रकरण में निराकरण

ASK. द्वारा उनके उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर मध्यस्थ श्री पंकज शर्मा, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।

17.02.17 के हस्त स्तिवत अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष दिनांक 17.0 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता तक 15.03.17 मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो दिनांक 12

45 Hadica Analysis कार्यवाही के मीडियेशन क प्रकरण आगामी दिनांक 15.03.17

प्रस्तुती हेतु पेश हो।

First Gohad distt. Bhind (M andra) Judicial Magistrate (A.K

की टीप प्राप्त। मध्यस्थ न्यायालय से मध्यस्थता सफलता उभयपक्ष पूर्वतत।

किया वदन तर्गत त्वं अभियुक्तग त अनुमिति Kh Kh आवेदन राजीनामा हेतु छायावित्र चौरिसिया राजीनामा पहचान अधिवनता श्री रघुनाथ त्रिवेदिया द्वारा की गयी। बी0आर0 फरियादी श्रीमती सपना की ओर से एक र द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय दप्रस फरियादी हस्ताक्षर अधिवक्ता श्री की पहचान अतर्गत धारा 320-2 गया। फरियादी धारा 320

किया उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन

Ache द्वाब लाम भय किया 即用 आश्राय बिन राजीनामा 15 रखने लोम-लालव के पारस्परिक संबंधों को मधुर अभियुक्तगण फियादी द्वारा

of Presiding proceeding with Signatur

Pleadeh neces

किया है।

नान दण्डनीय आपराधिक प्रशासन पक्षकारों स्वीकार किया अधीन शमनीय है। 45 40 18 आवेदन रखने 909 中 34, 323, अनुमिति अपराध का आरोप है। उक्त आरोप न्यायालय की अनुमी मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति न्यायोचित दर्शित होता है। अभियुक्तगण पर भाठद०वि० की धारा 294,

के स्वीकार किया जाता है। अपराध आरोपें से राजीनामा अभियुक्तगण नान किर् जिसका प्रभाव भारमुक्त Khbb हो धारा 294, 323, 506 बी भाठदर्शाव के उपशामन की अनुमिति प्रदान की जाती है Kh 15 राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन हो धारा 294, 323, 506 बी भा0द0वि0 D जाती होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति आगामी नियत दिनांक निरस्त की को धारा अतः की दोषमुक्ति प्रकरण में आगा पर आभियुक्तगण आधार 15

प्रकरण मे कोई संपत्ति जब्त नहीं।

आमिलेखागार प्रकरण 450 अभिलेख सुसंगत परिणाम 4 प्रकरण

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH